रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 1985/फाल्गुन 21, 1906

No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 1985/PHALGUNA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य एवं पूर्ति मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना स० 6-ई टी सी (पी एन)/85

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1985

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय :—खेतो में उगाये जाने वाले ग्लोरिओसा सुपर्बा (लिलिएसी) के बीजों के लिये निर्यात नीति।

मिसिल स० 48(1)/85-ई-2 :—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) ओ, 1977/ए एम (299), दिनांक 12 मार्च, 1985 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, यह निर्णय किया गया है कि खेतों में उगाये गये ग्लोरिओसा सुपर्बा (लिलिएसी) के बीजों के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन (1) राजस्व अधिकारी या राज्य में उनके प्रतिनिधि से इस संबंध में निरीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जायेगी कि निर्यात किये जाने वाले बीज उसके स्थान, क्षेत्र आदि जिनमें इनकी खेती की गई है के ब्यौरे देते हुए खेतों में उत्पादित किये गये है। और (2) एक अधिकारी से प्रमाणपत्र जो वनो के उप-संरक्षक के पद से कम न हो और वह इस संबंध में कि बीज निर्यातक द्वारा किये गये बागान में उत्पन्न है, वन स्रोतों से एकत्र नहीं किये गये हैं।

3. ग्लोरिओसा सुपर्बा (लिलिएसी) के बीजों की अन्य सभी किस्मो के निर्यात की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. तदनुसार, आयात तथा निर्यात नीति (खण्ड-2) 1985-86 के नीति विवरण के पृष्ठ-17 पर क्रम सं० 24 (8) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी :—

अनुसूची-1 के भाग "ख" के अनुसार क्रम स०	मद का ब्यौरा	लाइसेंसिंग नीति
24(9)	खेतो मे उगाये गये ग्लोरिओसा सुपर्बा (लिलिएसी) के लिये निर्यात नीति	निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

प्रकाश चन्द जैन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE AND SUPPLY

PUBLIC NOTICE NO. 6-ETC (PN)/85

New Delhi, the 12th March, 1985.

EXPORT TRADE CONTROL

Subject: Export Policy of Gloriosa Superba (Liliaceae) Seeds grown in the farms.

F. No. 48(1)/85-EII.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(299), dated the 12th March, 1985, on the above subject.

2. On a review of the position, it has been decided to allow the export of Gloriosa Superba (Liliaceae)Seeds grown in the farms under OGL-3 subject to production of (i) an Inspection Certificate from the Revenue Officer or his representative in the State, to the effect that seeds to be exported have been produced through cultivation in the farm, indicating therein particulars of place, area etc. in which the seeds are cultivated, and (ii) Certificate from an officer not lower in rank than a Deputy Conservator of Forests to the effect that the seed is derived only from the plantations raised by the exporter and not collected from wild sources.

3. All other types of Gloriosa Superba (Liliaceae) Seeds shall continue to be not allowed for export.

4. Accordingly, the following entry shall be made after S.No 24(viii), at page 17 of the Policy Statement of Imports and Exports Policy (Vol. II) 1985-86 :—

S. No. as in Part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing Policy
24(ix)	Gloriosa Superba (Liliaceae) Seeds grown in the farms.	Export will be allowed as provided under OGL-3.

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985